

मानक शर्तें

५०

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसको उसके विभागीक स्थल में काँड़ परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्ण की भाँति रखिएगा। आवश्यक बन भूमि नहीं रहेगी।
2. प्ररन्धरत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदमित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को विभी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संप्रत्यक्ष निरीक्षण करके लगावित कर लिया जाया है कि नींबू गड्ढ सूमे न्यूनतम् है तथा इसके अतिरिक्त नहीं अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार बन भूमि को विभी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर रामबन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना डॉगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीधाकर याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेखा में करायेगा तथा इस रामबन्ध में बनाये गये नुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण तन भूमि पर बन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य बन सम्पदा से आव्यादित एवं बन जन्तुओं से भरपूर बन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल आपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिवन्ध यह होगा कि बन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाइ विभाग/जल नियम द्वारा बन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं बन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित बन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर बन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये बन विभाग को बापस हो जायेगी। बन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये बन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमैट तथा होटो समय स्थानीय स्तर पर बन विभाग का परामर्श साझनियोविड़ द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, साझनियोविड़ के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वत श्रोत्र पौधों को सम्बोधित पत्र सख्ता 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी साझनियोविड़ द्वारा किया जायेगा कि अश्वगार्घ बनाना अथवा बन मार्गों को फेर बदल कर पकड़ करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. बन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. बन भूमि पर खड़े वृक्षों का निरसारण बन विभाग उत्तराखण्ड बन नियम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो बन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निरसान्तरण बन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य बुखारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी बन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग बन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाज़ेरे पेड़ों पर पातन भी निषिद्ध है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण बन संस्थाकर स्तर पर ही होगा।
15. बन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों की ऊँचाई करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम् पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप बन संस्थाक द्वारा निरिचित की जायेगी, जिस पर संस्थान का अनुशोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पकड़ करना अंगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा बन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. बन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब सच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि बन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

B.M.
सहायक अभियन्ता
निर्माण खड़, लो.निवि कपकोट

G.
अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खड़, लो.निवि कपकोट